<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट अन्तर्गत धारा 75 केश नम्बर -13/2021/टोंक

हरिराम पुत्र किशना जाति घोसी निवासी देवली तह0 देवली जिला टोंक

........अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 देवली जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवली दिनांक 24.12.2020 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 139/2020 व उनवानी हरिराम बनाम तहसीलदार देवली।

उपस्थित अभि0:—श्री अजीत सिंह राठौड़(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांक:—28.02.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवली तहसील देवली में स्थित आराजी खसरा न0 4072,4073,4074,4075/4577,4076 एवं 4077 अपीलांट की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमियां है। भू-प्रबंध के दौरान नक्शाशीट में बिना सक्षम आदेश के नवीन बने खसरा नम्बरों में तरमीम को बदलकर नक्शे में रकबा कम कर दिया। जबकि जमाबन्दी में रकबा दर्ज कर रखा है। इस आशय के बाबत् तरमीम में संशोधन हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था। उपखण्ड अधिकारी ने यह अंकित करते हुए कि खसरा न0 4073 रकबा 0.64 हे0 में से 8 बिस्वा भूमि पर राजस्व मण्डल के स्थगन के आदेश के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध निम्न अपील उक्त आधार पर निरस्त कर दी है-

1. साबिक खसरा नम्बर 2000 के नये नम्बर 4075(रकबा 0.54 हे0), खसरा न0 4076(रकबा 0.33),खसरा न0 4077(रकबा 0.5 हे0) खसरा न0 4079 में अपीलांट के खसरा न0 4077 का रकबा शामिल कर दिया है तथा उक्त रकबे को अपीलांट के नाम दर्ज करने के बजाय खसरा न0 4075/4
577 के खातेदार के नाम दर्ज कर दिया है। इस प्रकार अधिकार अभिलेख में अपीलांट के नाम रकबा तो पूरा दर्ज कर दिया है। लेकिन नक्शा ट्रेश में रकबा कम कर दिया है। पुराने नक्शा ट्रेश के मुकाबले नया नक्शा ट्रेश बराबर नहीं बनाया गया है।

2. राजस्व मण्डल के समक्ष पुराने खसरा न0 2005 जिसके नये नम्बर 4073 है। इससे संबंधित प्रकरण विचाराधीन है। जिस पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। मगर राजस्व मण्डल के समक्ष पुराने खसरा न0 2000 जिसके नये नम्बर 4075,4076,4077 बने है। इसे संबंधित कोई विवाद नही है। ना ही इससे संबंधित कोई स्थगन आदेश निकला है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य आराजी खसरा न0 4073 का अवलोकन करते हुए स्थगन आदेश का हवाला देते हुए प्रकरण निरस्त करवा दिया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्ती के योग्य है।

अपील अंदर मियाद प्रस्तुत करते [illegible] में प्रार्थना कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर एस0डी0ओ देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 निरस्त किया जायें तथा पुराना खसरा न0 2000 जिस रूप में पुराने नक्शा में प्रदर्शित है। उसी रूप में आधा नक्शा ट्रेश में भी प्रदर्शित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अप्रार्थी जबरन अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल कर देगें तथा निर्माण कार्य भी करवा सकते है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायें तथा हाल खसरा न0 4075/4577,4079 के रिकोर्ड व मौखिक स्थिति को यथावत बनाया जायें। स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में उसके द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड को तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। मौखिक बहस में अपीलांट वकील अजीत सिंह राठौड़ व अपीलांट की ओर से राजकीय अभि0 आकाश पारिक उपस्थित हुए। वकील अपीलांट ने बताया कि सेटलमेंट के बाद नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है। पुराने खसरा न0 2000 के नये खसरा न0 4075,4076,4077 बने है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2020 को निर्णय किया गया है, को खारिज किया जायें। राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि अपीलांट को रिव्यू का प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए था। धारा 136 एल0आर0एक्ट में कार्यवाही तभी हो सकती है, जब पक्षकार सहमत हो और यहां पर पक्षकार(तहसीलदार) सहमत नहीं है। अपीलांट को रेगूलर शूट प्रस्तुत करना चाहिए था। जिसमें ट्राइल के बाद सब बातें स्पष्ट होती है। राजकीय अभी0 द्वारा निम्न न्यायायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है-1. 2015 आरआरटी-10(एस सी) पेज न0 20, 2. आरबीजे(27) 2020 पेज न0 144 ,3. आरआरडी जनवरी 2008 पेज 34 ।

2015 आरआरटी-10(एस सी) पेज न0 20- प्रकरण नगरपालिका बोर्ड बाड़मेर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के अनुसार धारा 136 एल आर एक्ट में राजस्व रिकोर्ड में इंद्र दुरूस्ती केवल लिपीकिय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियां थी। स्वीकृत त्रुटिया ही इस धारा के तहत परिशोधित की जा सकती है। उपरोक्त प्रकरण में निर्णय नहीं किया गया है। अपितु राजस्व मण्डल के द्वारा दिए गए स्टे की वजह से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

आरबीजे(27) 2020 पेज न0 144-ग्राम पंचायत जीवाणा बनाम तहसीलदार में दी गई व्यवस्था के अनुसार आबादी विस्तार हेतु हस्तानांतरित भूमि जो रिकोर्ड में आबादी दर्ज हो गई हो तो एस0डी0ओ को यह अधिकार नहीं है कि वह आबादी भूमि को गैर मुमकिन चरागाह भूमि में परिवर्तित कर देवें। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत मात्र लिपिकीय त्रुटियां ही शुद्ध की जा सकती है। वर्तमान अपील में उक्त न्यायिक दृष्टांत सही रूप से चस्पा होता है।

आरआरडी जनवरी 2008 पेज 34 -प्रभु बनाम रामजीलाल व अन्य के अनुसार उक्त प्रकरण में 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर निपटाया गया है। कानून के प्रावधानों के तहत नहीं निपटाया गया है। भू-प्रबन्ध समाप्ति के बाद लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर सिर्फ उन मामलो को सुनेगा जो उसे भू-प्रबंन्ध अधिकारी द्वारा प्रेषित किये है। भू-प्रबंध समाप्ति के बाद व्यक्ति को राजस्थान टिनैन्सी एक्ट आरटीआई की धारा 88 के तहत ही वाद दायर करना है। वर्तमान अपील में उक्त न्यायिक दृष्टांत सही रूप से चस्पा होता है।

विवादित खसरा बाबत् नक्शा ट्रेश के मुताबिक रकबा नापने पर अपीलांट के अनुसार कम पड़ता है। जबकि अपीलांट के अनुसार जमाबन्दी में रकबा को सही दर्ज किया गया है। न्यायालय आरआरडी जनवरी 2008 पेज 234 पर दी गई व्यवस्था से पूर्ण सहमत है। वर्तमान प्रकरण में भी इन न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप ही स्थिति है। अपीलांट को सक्षम न्यायालय में जाकर वादपत्र दायर करना चाहिए। नक्शा ट्रेश से संबंधित बदलाव से कोई ना कोई अन्य खातेदार प्रभावित होगा तथा यह कार्य धारा 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र मात्र से सरसरी कार्यवाही से नही हो सकेगा। अपीलांट को सक्षम न्यायालय में इस बाबत वाद पत्र दाखिल करके उजरदारी करनी चाहिए। जमाबंदी संवत 2070-73 ग्राम देवली के अनुसार अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में बताये गये खसरा नम्बरान 4075/4577,4079 अपीलांट की खातेदारी में नहीं है। अतः इस स्तर पर अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और वह स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अपीलांट द्वारा अपील को अंदर मियाद प्रस्तुत करना बताया है। उपखण्ड अधिकारी देवली का निर्णय दिनांक 24.12.2020 हुआ था। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 08.02.2021 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील अंदर मियाद ही कर दी गई है।

अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह चाह गया था कि अपीलांट की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं 2000 जिस रूप से साबिक नक्शा [illegible] में दर्शित है [illegible] आधार नक्शा ट्रेश की जाकर दर्शित की जायें। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी देव[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। उसका अवलोकन [illegible] गया। उसके अनुसार प्रार्थी आराजी खसरा न0 4072,4073,4074,4076,[illegible] एक मात्र खातेदार व काबिज काश्तकार तथा उसका कब्जा चला आ रहा है। परन्तु सेटलमेंट में [illegible] बदलकर रकबा कम दर्शा दिया गया है। अतः तरमीम सही की जायें। अपील का मुख्य आधार साबिक खसरा न0 2000 है इससे जो नये नम्बर बने है उसमें तरमीम के विवाद की वजह से यह अपील प्रस्तुत की गई है। खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

4073 वर्तमान में नगरपालिका देवली के नाम दर्ज है तथा इस समय मात्र 4072,4075,4076,4077 ही अपीलांट व उसकी मां के नाम आधे हिस्से मे थे तथा आधे हिस्से में देवी सुनिता पुत्री निशा कौम घोसी के नाम दर्ज है। अपीलांट द्वारा आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया है तथा क्लीन हैंड से न्यायालय में नहीं आया है।

समग्र अवलोकन दस्तावेजों के अध्ययन बहस बिन्दुओं पर विचार करते हुए तथा बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवश्यक पक्षकार को संयोजित नहीं किया गया है तथा बहस के दौरान वकील रेस्पो0 के प्रस्तुत न्यायिक नजीरे इस प्रकरण में सही रूप से चश्पा होती है। अपीलांट वाद पत्र के माध्यम से ही सक्षम न्यायालय में चारजोही करके लाभ प्राप्त कर सकता है। अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में बताये गये खसरा न0 अपीलांट की खातेदारी में नहीं है। अतः उसे स्थगन का भी लाभ नही दिया जा सकता है। अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवली दिनांक 24.12.2020 (अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 139/2020 व उनवानी हरिराम बनाम तहसीलदार देवली) ग्राम देवली, सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested